नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 56)

[14 सितम्बर, 1994]

लोकहित में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का पारेषण सुनिश्चित करने के लिए नेशनल पावर ग्रिड का विकास करने की दृष्टि से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उस कम्पनी के अधिकार, हक और हित का अर्जन और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अंतरण का तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1994 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम की धारा 8 से धारा 11 और धारा 13 से धारा 16 के उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध 1 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 1 अप्रैल, 1992 अभिप्रेत है ;

(ख) "सहयुक्त कार्मिक" से कंपनी के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जो उसकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से सहयुक्त हैं ;

(ग) "कम्पनी" से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नेवेली 607801, साउथ अर्काट जिला, तमिलनाडु में है ;

(घ) "निगम" से पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली– 110019 में है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) कंपनी के संबंध में, "विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली" से मुख्य पारेषण लाइनें [जिनके अन्तर्गत अति उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा (अ०उ०वो०प्र०धा०) लाइनें और उच्च वोल्टता दिष्ट धारा (उ०वो०दि०धा०) लाइनें हैं] और कंपनी के स्वामित्व में के उपकेन्द्र हैं ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं ;

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु, यथास्थिति, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 5) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण

3. विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में कंपनी के अधिकारों का अर्जन—नियत दिन को, कंपनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली तथा उसकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में संबंधित उसके अधिकार, हक और हित के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं ।

(2) इस प्रकार निहित होने के ठीक पश्चात् उपधारा (1) के आधार पर केन्द्रीय सरकार में निहित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के बारे में यह समझा जाएगा कि वह निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसी प्रणाली से संबंधित सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा ऐसी सभी स्थावर और जंगम संपत्ति और जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, परियोजनाएं (चाहे पूर्ण हों या पूर्णता या योजना के किसी प्रक्रम पर हों), स्टोर, फालतू पुर्जे, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, सन्निर्माण उपस्कर, अनुपयोजित दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार है तथा ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, कम्पनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे और उससे संबंधित सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और सभी अन्य दस्तावेजें हैं चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, किन्तु निम्नलिखित को इसके अन्तर्गत नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी को शोध्य बही ऋण ;

(ख) नियत दिन को रोकड़ बाकी और बैंक अतिशेष ;

(ग) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में राजस्व खाते मद्धे आय और व्यय ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित अधिकारों के अन्तर्गत, जो धारा 3 की उपधारा (2) और इस उपधारा के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं, विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए पारेषण प्रभारों के संग्रहण का अधिकार है और कम्पनी द्वारा नियत दिन को या उसके पश्चात् पारेषण प्रभारों के रूप में संगृहीत कोई धनराशि (चाहे पृथक्त: दर्शित की गई हो या नहीं) कम्पनी द्वारा निगम को संदेय होगी ।

(2) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित सभी विलेख, बंधपत्र, (भारत सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों से भिन्न,) प्रतिभूतियां, करार, मुख्तारनामे, विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और किसी भी प्रकृति की अन्य लिखते जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी हैं और जिनमें कम्पनी पक्षकार है या जो उक्त कम्पनी के पक्ष में है, निगम के विरुद्ध या उसके पक्ष में वैसे ही पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्णत: और प्रभावी रूप से प्रवर्तित या कार्यान्वित किया जा सकेगा मानों कम्पनी के स्थान पर निगम उनमें पक्षकार रहा हो या मानो वे निगम के पक्ष में जारी की गई हों ।

(3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, ऐसी किसी संपत्ति या आस्ति के संबंध में, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित या उसमें निहित की गई है, कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया गया या लाया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यावाही चाहे वह किसी भी प्रकृति की हो, लंबित थी तो उसका उस कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के अंतरण या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगा या उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. कतिपय पूर्व दायित्वों के लिए निगम का दायी होना—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कम्पनी का प्रत्येक दायित्व, निगम का दायित्व होगा और निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा न कि ऐसी कम्पनी के विरुद्ध :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात,—

(क) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में राजस्व खाते मद्धे आय और व्यय को, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् कम्पनी द्वारा, यथास्थिति, प्राप्त या उपगत किया गया है, लागू नहीं होगी ;

(ख) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में पूजी खाते मद्दे समाश्रित दायित्वों के बारे में जो किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के विनिश्चय के कारण उद्भूत हुए हों, अवक्षयण की बकायों को लागू नहीं होगी ।

(2) जहां कम्पनी द्वारा किसी उधारदाता अभिकरण को नियत दिन को या उसके पश्चात् उधार या ब्याज या दोनों का कोई प्रतिसंदाय किया गया है वहां ऐसा प्रतिसंदाय निगम द्वारा किया गया समझा जाएगा और ऐसे प्रतिसंदाय की रकम की, पारेषण प्रभार के या कम्पनी द्वारा निगम को शोध्य किसी अन्य रकम के समायोजन पर, कम्पनी को निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

6. निगम का पट्टेदार या अभिधारी होना—(1) जहां कम्पनी द्वारा अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में कोई संपत्ति किसी पट्टे के अधीन या अभिधृति के किसी अधिकार के अधीन धारित है वहां नियत दिन से ही निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी संपत्ति की बाबत, यथास्थिति, पट्टेदार या अभिधारी बना गया है मानो ऐसी संपत्ति के संबंध में वह पट्टा या अभिधृति निगम को दी गई हो और तब ऐसे पट्टे या अभिधृति के अधीन सभी अधिकारों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पट्टे या अभिधृति की अवधि की समाप्ति पर, यदि निगम ऐसा चाहता है तो, ऐसे पट्टा या अभिधृति का, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जिन पर वह पट्टा या अभिधृति नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी द्वारा धारित थी, नवीकरण किया जा सकेगा ।

7. शंकाओं का दूर किया जाना—(1) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक किसी संपत्ति का संबंध कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित कारबार से तथा कम्पनी द्वारा अर्जित अधिकारों और शक्तियों, और उपगत ऋणों, दायित्वों और बाध्यताओं और की गई संविदाओं, करारों और अन्य लिखतों से तथा भारत में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष उन मामलों के बारे में लंबित विधिक कार्यवाहियों से है ।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि किसी संपत्ति का संबंध, नियत दिन को कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी कारबार से है या नहीं अथवा कम्पनी द्वारा अपने उक्त कारबार के प्रयोजन के लिए कोई अधिकार, शक्ति, ऋण, दायित्व या बाध्यताएं अर्जित या उपगत की गई हैं या नहीं अथवा कोई संविदा, करार या अन्य लिखत की गई है या नहीं अथवा किसी दस्तावेज का संबंध उन प्रयोजनों से है या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जो, मामले में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसका ऐसी रीति से विनिश्चय करेगी जो वह ठीक समझे ।

8. रकम का संदाय—(1) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित उसके अधिकार, हक और हित को धारा 3 और धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, विहित रीति से, कम्पनी को ऐसी रकम का, जो 31 मार्च, 1992 को कम्पनी के संपरीक्षित लेखा विवरण में दिए गए (सामश्रित दायित्वों से भिन्न) दायित्वों की कटौती करने के पश्चात् सभी आस्तियों और संपत्तियों के बही मूल्य के बराबर हो, संदाय किया जाएगा ।

(2) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित उसके अधिकार, हक और हित धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित या उसमें निहित किए जाने के लिए निगम द्वारा, विहित रीति से, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रकम का जो उपधारा (1) के अधीन उस सरकार द्वारा कम्पनी को संदत्त की जाती है, संदाय किया जाएगा ।

(3) किसी आस्ति, संपत्ति या दायित्व की प्रकृति अथवा उपधारा (1) के अधीन संदेय रकम के बारे में किसी विवाद की दशा में, वह विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जो वह नियुक्त करे और उस प्राधिकारी का उस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 3

आस्तियों आदि का निगम को परिदान

9. व्यक्तियों का अपने कब्जे में की आस्तियों आदि का लेखा-जोखा देने का कर्तव्य—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को ऐसी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई हैं, संबंधित कोई आस्तियां, बहियां और कोई अन्य दस्तावेज हैं, उक्त आस्तियों, बहियों और दस्तावेजों का निगम को लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और वह उनका परिदान, निगम को अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को करेगा जिन्हें निगम इस निमित्ति विनिर्दिष्ट करे ।

(2) निगम, विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का, जो इस अधिनियम के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई हैं, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा ।

(3) कम्पनी, निगम को अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है, संबंधित नियत दिन की विद्यमान अपनी सभी सम्पत्ति और आस्तियों की पूर्ण सूची ऐसी अवधि के भीतर देगी जो निगम इस निमित्त अनुज्ञात करे ।

अध्याय 4

सहयुक्त कार्मिकों के बारे में उपबंध

10. सहयुक्त कार्मिकों का बना रहना—(1) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के निगम में निहित हो जाने पर, ऐसे सहयुक्त कार्मिक, जो 1 दिसम्बर, 1992 को या उसके ठीक पूर्व कम्पनी में नियोजित रहे हैं, और पहले से ही निगम के कर्मचारी नहीं बन गए हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही निगम के कर्मचारी बन जाएंगे और निगम के अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेंगे जो किसी भी रूप में उनसे कम अनुकूल नहीं हैं, जो उनके लिए तब अनुज्ञेय होती यदि उक्त प्रणाली ऐसे निहित न हुई होती और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि निगम के अधीन उनका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक कि उनके पारिश्रमिक में और सेवा की अन्य शर्तों में निगम द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सहयुक्त कार्मिकों की सेवाओं का निगम को अंतरण ऐसे कार्मिक को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

11. भविष्य निधि और अन्य निधियां—(1) जहां कम्पनी ने अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की है, वहां सहयुक्त कार्मिकों से, जो पहले ही निगम के कर्मचारी बन गए हैं या जिनकी सेवाएं इस अधिनियम के अधीन निगम को अंतरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां ऐसी भविष्य निधि या अन्य निधि में सहयुक्त कार्मिकों के अंतरण की तारीख को जमा धनराशियों में से निगम को अंतरित या उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) ऐसी धनराशियों की बाबत, जो उपधारा (1) के अधीन निगम को अंतरित हो गई हैं, निगम द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

12. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

13. शास्तियां—कोई व्यक्ति, जो—

(क) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, निगम से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी दस्तावेज या तालिका को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है जानबूझकर विधारित करेगा अथवा उसे निगम को या निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा ; या

(घ) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, निगम को या उस निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

14. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसके ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक,

प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या निगम या कम्पनी के अथवा उस सरकार, निगम या कंपनी के किसी अधिकारी के अथवा उस सरकार, निगम या कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

16. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिसमें धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रकम का संदाय किया जाना है ;

(ख) वह रीति जिसमें धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि में की धनराशि की बाबत कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———